रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 1997/आषाढ़ 30, 1919
No. 297] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 1997/ASADHA 30, 1919

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1997

सा० का० नि० 401 (अ):—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 1997 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 1990 के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"17. खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट,—

(1) खोए हुए या मिल न पा रहे टिकट की बाबत कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(2) फटे या विकृत टिकट की बाबत किराए का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा यदि टिकट को देखने से ही इसकी प्रमाणिकता दृश्य विशिष्टियों के आधार पर सत्यापन योग्य है।

(3) (i) यदि खोए हुए, मिल न पर रहे, फटे या विकृत टिकट की आरक्षण प्रास्थिति, यात्रा करने के प्रयोजन के लिए दूसरा टिकट जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के समय पर आरक्षित है या रद्दकरण की दशा में आरक्षण है और दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी का आरक्षण चार्ट तैयार होने से पूर्व चाहा गया है, तब स्टेशन मास्टर निम्नलिखित दरों पर प्रभारों का संग्रहण करके मूल टिकट के बदले में दूसरा टिकट जारी करेगा, अर्थात्:—

(क) 500 किलोमीटर तक की यात्रा के टिकट की दशा में, कुल किराए का 25 प्रतिशत;

(ख) 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए टिकट की दशा में, कुल किराए का 10 प्रतिशत; किन्तु ऐसा 500 किलोमीटर की आरक्षित या रद्दकरण की दशा में आरक्षण वाले टिकट के लिए कुल प्रभार के 25 प्रतिशत की न्यूनतम वसूली के अधीन रहते हुए होगा; और

(ग) उन रेलगाड़ियों के टिकट के लिए जिनकी सर्व-समाविष्ट किराया संरचना पृथक है, दूरी का विचार किए बिना, कुल किराए का 25 प्रतिशत।

(ii) यदि खोए हुए या मिल न पा रहे आरक्षित टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट की तैयारी के पश्चात् मांगा गया है, तो यह कुल किराए के 50 प्रतिशत के समतुल्य वसूली प्रभार पर जारी किया जाएगा। तथापि, दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट की तैयारी के पश्चात् रद्दकरण की दशा में आरक्षण की बाबत जारी नहीं किया जाएगा।

(iii) यदि फटे या विकृत आरक्षित या रद्दकरण की दशा में आरक्षण वाले टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट की तैयारी के पश्चात् मांगा गया है, तो यह कुल किराए का 25 प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संग्रहण पर जारी किया जाएगा।

(iv) पार्टी द्वारा बुक कराए गए डिब्बा टिकट या विशेष रेलगाड़ी टिकट की बाबत दूसरा टिकट, कुल किराए के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संग्रहण पर रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय तक जारी किया जाएगा।

(4) (i) कोई प्रतिदाय, उपनियम (3) के अधीन संगृहीत प्रभार की बाबत मंजूर नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के, जहां खोया हुआ या मिल न पा रहा टिकट, दूसरा टिकट जारी किए जाने के पश्चात् मिल जाता है और रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले इसे दूसरे टिकट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) दूसरा टिकट जारी करने के लिए संगृहीत प्रभार 20 रु की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए, उसकी 5 प्रतिशत कटौती के पश्चात् प्रतिदाय किया जाएगा। किन्तु यदि यात्रा भी नहीं की गई है तो मूल टिकट पर रद्दकरण प्रभार नियमों के अधीन यथा उपबंधित रूप में अवधारित किया जाएगा।

(iii) यदि यात्री, जिसने खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत हुए उसके आरक्षित या रद्दकरण की दशा में आरक्षण टिकट के कारण रेलगाड़ी में अधिक प्रभार संदत्त किया है, रेलगाड़ी में संदत्त प्रभार के प्रतिदाय को देने के लिए रेल प्रशासन को आवेदन करता है, तो मूल टिकट जारी करने वाले जोनल रेल के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (प्रतिदाय), ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझें, प्रति यात्री एकल यात्रा टिकट कराए का 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार प्रतिधारित करने के पश्चात्, रेलगाड़ी में वसूल किए गए कुल प्रभार का प्रतिदाय कर सकता है, परन्तु यह तब जब किसी ने भी मूल टिकट पर पूर्वत्तर प्रतिदाय नहीं लिया है।"

[सं० टीसी II/2003/89नियम]

अर्चना जोशी, संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (दर)—II

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 646 (अ) तारीख 18-07-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा०का०नि० सं० 551 (अ) तारीख 29-08-1991, सा०का०नि० सं० 914 (अ) तारीख 7-12-1992, सा०का०नि० सं० 548 (अ) तारीख 29-6-1994, सा०का०नि० सं० 737 (अ) तारीख 4-10-1994, सा०का०नि० सं० 864 (अ) तारीख 15-12-1994, सा०का०नि० सं० 878 (अ) तारीख 23-12-1994, सा०का०नि० सं० 879 (अ) तारीख 23-12-1994, सा० का० नि० सं० 295 (अ) तारीख 29-3-1995, सा०का०नि० सं० 801 (अ) तारीख 19-12-1995, सा०का०नि० सं० 116 (अ) तारीख 8-3-1996 एवं सा०का०नि० सं० 201 (अ) तारीख 9-04-1997 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, 21st July, 1997

G.S.R. 401 (E):—In exercise of powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2), of section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hreby makes the following rules further to amend the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and refund of Fares) Rules, 1990, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Second Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1997.

2. In the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Rules, 1990, for rule 17, the following rules shall be substituted, namely:—

"17. Lost, misplaced, torn or mutilated tickets.—

(1) No refund of fare in respect of a los or misplaced ticket shall be granted.

(2) Refund of fare shall be granted in respect of a torn or mutilated ticket if its authenticity is verifiable on the basis of particulars visible on the face of the ticket.

(3) (i) If the reservation status of a lost, misplaced, torn or mutilated ticket, at the time of receipt of the application for issuance of a duplicate ticket for the purpose of undertaking journey, is reserved or RAC and that the duplicate ticket is sought before preparation of reservation chart of the concerned train, then Station Master shall issue a duplicate ticket in lieu of the original ticket on collection of charges at the following rates, namely:—

(a) 25 per cent of total fare, in the case of ticket for journey upto 500 kms.;

(b) 10 per cent of total fare, in the case of ticket for journey more than 500 kms. subject to a minimum recovery of 25 per cent of total charges for reserved or RAC ticket of 500 kms.; and

(c) 25 per cent of total fare, irrespective of distance for tickets of trains which have separate all-inclusive fare structure.

(ii) If a duplicate ticket in lieu of a lost or misplaced reserved ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on collection of a charge equivalent to 50 per cent of the total

fare. Duplicate tickets shall, however, not be issued in respect of RAC tickets after preparation of reservation chart of the concerned train.

(iii) If duplicate ticket in lieu of a torn or mutilated reserved or RAC ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on collection of a charge equivalent to 25 per cent. of the total fare.

(iv) A duplicate ticket in respect of party coach ticket or a special train ticket, shall be issued upto the time of departure of the train, on collection of a charge equivalent to 10 per cent of the total fare.

(4) (i) No refund shall be granted in respect of charges collected under sub-rule (3) except in cases where the lost or misplaced ticket is traced after the issuance of a duplicate ticket and presented along with the duplicate ticket before departure of the train.

(ii) The charges collected towards the issuance of duplicate ticket shall be refunded after deducting 5 per cent thereof subject to a minimum deduction of Rs. 20. In case the journey is also not undertaken the cancellation charges on the original ticket shall be determined as provided under the rules.

(iii) If the passenger, who has paid excess charges in train on account of his reserved or RAC ticket being lost, misplaced, torn or mutilated, makes an application to the railway administration for grant of refund of the charges paid in train, the Chief Commercial Manager (Refunds) of the original ticket issuing zonal railway may, after making such enquiry as he may deem necessary, grant refund of total charges realised in the train, after retaining the cancellation charg at 50 per cent of a single journey ticket fare per passenger provided that no one has taken refund erlier on the original ticket."

[No. TC II/2003/89/Rules]

ARCHANA JOSHI, Jt. Director, Traffic Comml. (Rates)-II

FOOT NOTE:—The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 646 (E) dated 18th July, 1990 and subsequently amended vide G.S.R. 551 (E) dated 29th August, 1991, G.S.R. 914 (E) dated 7th December, 1992, G.S.R. 548 (E) dated 29th June, 1994, G.S.R.737 (E) dated 4th October, 1994, G.S.R. 864 (E) dated 15th December, 1994, G.S.R.878 (E) dated 23rd December ,1994, G.S.R. 879 (E) dated 23rd December, 1994, G.S.R. 295 (E) dated 29th March, 1995, G.S.R. 801 (E) dated 19th December, 1995, G.S R.116 (E) dated 8th March, 1996 and 201 (E) dated 9th April, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997